

<p>आदेश की क्र०सं० एवं तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ</p>								
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>								
<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्ता, गुमला सुषमा नीलम सोरेंग एस०ए०आर० वाद सं० - 58 / 2004-05</p> <p>सोमरा उराँव.....अपीलार्थी बनाम मो० रफीक खान.....प्रतिवादी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद सोमरा उराँव, पिता - सुखु उराँव, ग्राम - लकेया, थाना - सिसई, जिला - गुमला द्वारा निम्नांकित विवरण की भूमि की वापसी हेतु आवेदन दिया गया है।</p> <p style="text-align: center;">जमीन का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="289 1126 1450 1249"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लकेया</td> <td>43</td> <td>1461</td> <td>2.54 एकड़ में से 0.10 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक लम्बे समय तक अनुपस्थित हैं तथा कोई पैरवी नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में उभय पक्षों को कोई अभिरुची नहीं रह गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष में इस वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p>भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला।</p>			ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	लकेया	43	1461	2.54 एकड़ में से 0.10 एकड़
ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा							
लकेया	43	1461	2.54 एकड़ में से 0.10 एकड़							